

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 03/विविध-07-160/2014...../ राँची, दिनांक :

आदेश

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-5207 दिनांक 14.08.2002 तथा 1038 दिनांक 26.05.2005 में निहित प्रावधानों के अनुसार जल संसाधन विभागान्तर्गत निम्न कनीय अभियंता को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 03 में अंकित तिथि से ए.सी.पी. योजना के तहत औपबंधिक रूप से स्वीकृत प्रथम वित्तीय उन्नयन के लाभ को एतद् द्वारा सम्पुष्ट किया जाता है।

क्रमांक	सरकारी सेवक का नाम /आई.डी. कोड/जन्म तिथि/ वर्तमान पदस्थापन/ प्रथम योगदान की तिथि	12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत प्रथम वित्तीय उत्क्रमण वेतनमान 6500-10500 देय तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1	श्री शिव कुमार गुप्ता जे 7751/01.01.61/ लघु वितरणी प्रमंडल सं.-07, गालूडीह/ 19.01.87	09.08.99	

2. उपर्युक्त कनीय अभियंता के संबंध में अगर यह पाया गया कि सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन के तहत लाभ नियमानुकूल नहीं है अथवा गलत सूचना के आधार पर दी गयी है तो लाभ संपुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जाएगी।

3. ए.सी.पी. योजना 09.08.1999 से लागू है, लेकिन वित्तीय उन्नयन का वास्तविक लाभ 15.11.2000 से देय है।

4. सम्पुष्टि आदेश पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह./-

(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-

(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:-मुख्य अभियन्ता, सुवर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना, चांडिल कम्पलेक्स/ कार्यपालक अभियंता, लघु वितरणी प्रमंडल सं.-07, गालूडीह को श्री शिव कुमार गुप्ता, कनीय अभियंता का सेवापुस्त दो भाग (मूल) के साथ/ संबंधित कनीय अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-

(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :- 5058

राँची, दिनांक :-

10-4-14

प्रतिलिपि:-बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ वेब इन्फोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :-03 / विविध-07-191 / 2014..... / राँची, दिनांक :

आदेश

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-2981 दिनांक 01.09.2009 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय आदेश संख्या-264 दिनांक 27.01.2012 द्वारा अधोवर्णित सारणी के स्तम्भ-02 में अंकित कनीय अभियंता को संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (MACP) योजना के तहत स्तम्भ-04 में वर्णित तिथि से औपबंधिक रूप से स्वीकृत द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतनमान 15600-39100, (पी.बी.-III) ग्रेड पे रु. 5400/- को एतद् द्वारा सम्पुष्ट किया जाता है।

क्रमांक	सरकारी सेवक का नाम /आई.डी. कोड/जन्म तिथि/ कार्यालय का नाम	प्रथम योगदान की तिथि	बीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप एम.ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत द्वितीय वित्तीय उत्क्रमण (पी.बी.-III) एवं वेतनमान 15600-39100, ग्रेड पे रु. 5400/- देय तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री सत्येन्द्र सिंह जे 7858 / 14.02.60 / लघु वितरणी प्रमंडल सं.-02, चांडिल शिविर डिमना	24.01.87	01.09.08	

2. अगर गलत सूचना अथवा अन्य किसी कारण से यह पाया गया कि संशोधित वित्तीय उन्नयन का लाभ नियमानुकूल नहीं है तो उक्त एम.ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत वित्तीय उन्नयन के लाभ एवं उसकी सम्पुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जायेगी।

3. सम्पुष्टि आदेश पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह. / -
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियन्ता, सुवर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना, ईचा गालूडीह कम्प्लेक्स, जमशेदपुर / कार्यपालक अभियंता, लघु वितरणी प्रमंडल सं.-02, चांडिल शिविर डिमना को श्री सत्येन्द्र सिंह, कनीय अभियंता का सेवापुस्त 02 भाग (मूल) के साथ / संबंधित कनीय अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु.-यथोक्त।

ह. / -
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :- 5353 राँची, दिनांक :- 30-4-14

प्रतिलिपि:- बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची / वेब इन्फोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 03 /संपुष्टि-06-08 /2014..... / राँची, दिनांक : /

आदेश

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-2981 दिनांक 01.09.2009 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय आदेश संख्या-6674 दिनांक 23.11.2012 द्वारा अधोवर्णित सारणी के स्तम्भ-02 में अंकित कनीय अभियंता को संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (MACP) योजना के तहत स्तम्भ-04 में वर्णित तिथि से औपबन्धिक रूप से स्वीकृत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतनमान 15600-39100, (पी.बी.-III) ग्रेड पे रू. 7600/- को एतद् द्वारा सम्पुष्ट किया जाता है।

क्रमांक	सरकारी सेवक का नाम/ आई.डी. कोड/जन्म तिथि/ कार्यालय का नाम	प्रथम योगदान की तिथि	तीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप एम.ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत तृतीय वित्तीय उत्क्रमण (पी.बी.-III) एवं वेतनमान 15600-39100, ग्रेड पे रू. 7600/- देय तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री जनार्दन पाठक जे 4217 / 01.07.49 / सेवानिवृत्त/ सिंचाई प्रमंडल, सिकटिया देवघर	01.04.76	01.09.08	

2. अगर गलत सूचना अथवा अन्य किसी कारण से यह पाया गया कि संशोधित वित्तीय उन्नयन का लाभ नियमानुकूल नहीं है तो उक्त एम.ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत वित्तीय उन्नयन के लाभ एवं उसकी सम्पुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जायेगी।

3. सम्पुष्टि आदेश पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह./-

(**मनोज कुमार**)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-

(**मनोज कुमार**)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, देवघर/ कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, सिकटिया देवघर को श्री जनार्दन पाठक, कनीय अभियंता का सेवापुस्त दो भाग (मूल) के साथ/ संबंधित कनीय अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु.-यथोक्त।

ह./-

(**मनोज कुमार**)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :- 5383

राँची, दिनांक :- 2-5-14

प्रतिलिपि:- बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ वेब इन्फोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(**मनोज कुमार**)
अवर सचिव (प्र.)

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 03/सम्पुष्टि-06-02/2014..... / राँची, दिनांक : /

आदेश

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-2981 दिनांक 01.09.2009 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय आदेश संख्या-2886 दिनांक 19.10.2011 द्वारा अधोवर्णित सारणी के स्तम्भ-02 में अंकित कनीय अभियंता को संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (MACP) योजना के तहत स्तम्भ-04 में वर्णित तिथि से औपबंधिक रूप से स्वीकृत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतनमान 15600-39100, (पी.बी.-III) ग्रेड पे रु. 7600/- को एतद् द्वारा सम्पुष्ट किया जाता है।

क्रमांक	सरकारी सेवक का नाम /आई.डी. कोड/जन्म तिथि/ कार्यालय का नाम	प्रथम योगदान की तिथि	तीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप एम.ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत तृतीय वित्तीय उत्क्रमण (पी.बी.-III) एवं वेतनमान 15600-39100, ग्रेड पे रु. 7600/- देय तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री भूपेन्द्र प्रसाद सिंह जे 4449 / 01.06.51 / रूपांकण प्रमंडल सं.-02, देवघर	31.03.72 (अपराहन)	01.09.08	

2. अगर गलत सूचना अथवा अन्य किसी कारण से यह पाया गया कि संशोधित वित्तीय उन्नयन का लाभ नियमानुकूल नहीं है तो उक्त एम.ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत वित्तीय उन्नयन के लाभ एवं उसकी सम्पुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जायेगी।

3. सम्पुष्टि आदेश पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह. / -
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, देवघर/ कार्यपालक अभियंता, रूपांकण प्रमंडल सं.-02, देवघर को श्री भूपेन्द्र प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियंता का सेवापुस्त जिल्द में (मूल) के साथ/ संबंधित सेवानिवृत्त सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु.-यथोक्त।

ह. / -
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :-

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ वेब इन्फोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :-03 / विविध-07-195 / 2014..... / राँची, दिनांक :

आदेश

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-2981 दिनांक 01.09.2009 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय आदेश संख्या-3833 दिनांक 01.08.12 द्वारा अधोवर्णित सारणी के स्तम्भ-02 में अंकित कनीय अभियंता को संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (MACP) योजना के तहत स्तम्भ-04 में वर्णित तिथि से औपबधिक रूप से स्वीकृत द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतनमान 15600-39100, (पी.बी.-III) ग्रेड पे रु. 5400/- को एतद् द्वारा सम्पुष्ट किया जाता है।

क्रमांक	सरकारी सेवक का नाम /आई.डी. कोड/जन्म तिथि/ कार्यालय का नाम	प्रथम योगदान की तिथि	बीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप एम.ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत द्वितीय वित्तीय उत्क्रमण (पी.बी.-III) एवं वेतनमान 15600-39100, ग्रेड पे रु. 5400/- देय तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री अशोक कुमार सिंह जे 7806/01.10.59/ सुवर्णरेखा नहर प्रमंडल, जमशेदपुर	20.01.87	01.09.08	

2. अगर गलत सूचना अथवा अन्य किसी कारण से यह पाया गया कि संशोधित वित्तीय उन्नयन का लाभ नियमानुकूल नहीं है तो उक्त एम.ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत वित्तीय उन्नयन के लाभ एवं उसकी सम्पुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जायेगी।

3. सम्पुष्टि आदेश पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह. / -
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-
प्रतिलिपि:-मुख्य अभियन्ता, सुवर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना, चांडिल कम्पलेक्स, जमशेदपुर/
कार्यपालक अभियन्ता, सुवर्णरेखा नहर प्रमंडल, जमशेदपुर को श्री अशोक कुमार सिंह, कनीय अभियन्ता
का सेवापुस्त (जिल्द में) (मूल) के साथ/ संबंधित कनीय अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई
हेतु प्रेषित।

अनु.-यथोक्त।

ह. / -
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :- 5387 राँची, दिनांक :- 2-5-14
प्रतिलिपि:-बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची वेब इन्फोरमेशन मैनेजर, जल
संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 03 / विविध-07-192 / 2014..... / राँची, दिनांक : /

आदेश

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-2981 दिनांक 01.09.2009 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय आदेश संख्या-6674 दिनांक 23.11.2012 द्वारा अधोवर्णित सारणी के स्तम्भ-02 में अंकित कनीय अभियंता को संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (MACP) योजना के तहत स्तम्भ-04 में वर्णित तिथि से औपबधिक रूप से स्वीकृत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतनमान 15600-39100, (पी.बी.-III) ग्रेड पे रू. 7600/- को एतद् द्वारा सम्पुष्ट किया जाता है।

क्रमांक	सरकारी सेवक का नाम / पद नाम / आई.डी. कोड / जन्म तिथि / कार्यालय का नाम	प्रथम योगदान की तिथि	तीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप एम.ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत तृतीय वित्तीय उत्क्रमण (पी.बी.-III) एवं वेतनमान 15600-39100, ग्रेड पे रू. 7600/- देय तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री महेन्द्र प्रसाद / सहायक अभियंता (चालू प्रभार) / जे 3626 / 28.01.49 / जलपथ अंचल, हजारीबाग	13.11.73	01.09.08	

2. अगर गलत सूचना अथवा अन्य किसी कारण से यह पाया गया कि संशोधित वित्तीय उन्नयन का लाभ नियमानुकूल नहीं है तो उक्त एम.ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत वित्तीय उन्नयन के लाभ एवं उसकी सम्पुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जायेगी।

3. सम्पुष्टि आदेश पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह. / -
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग / अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, हजारीबाग को श्री महेन्द्र प्रसाद सहायक अभियंता (चालू प्रभार) का सेवापुस्त तीन भाग (मूल) के साथ / संबंधित सहायक अभियंता (चालू प्रभार) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु.-यथोक्त।

ह. / -
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :-

5388

राँची, दिनांक :-

2-5-14

प्रतिलिपि:- बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची / वेब इन्फोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 03/संपुष्टि-06-07/2014..... / राँची, दिनांक :

आदेश

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-2981 दिनांक 01.09.2009 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय आदेश संख्या-6674 दिनांक 23.11.2012 द्वारा अधोवर्णित सारणी के स्तम्भ-02 में अंकित कनीय अभियंता को संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (MACP) योजना के तहत स्तम्भ-04 में वर्णित तिथि से औपबंधिक रूप से स्वीकृत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतनमान 15600-39100, (पी.बी.-III) ग्रेड पे रु. 7600/- को एतद् द्वारा सम्पुष्टि किया जाता है।

क्रमांक	सरकारी सेवक का नाम/ आई.डी. कोड/जन्म तिथि/ कार्यालय का नाम	प्रथम योगदान की तिथि	तीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप एम.ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत तृतीय वित्तीय उत्क्रमण (पी.बी.-III) एवं वेतनमान 15600-39100, ग्रेड पे रु. 7600/- देय तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	श्री मुद्रिका प्रसाद जे 6009/ 10.01.53/ लघु सिंचाई प्रमंडल कोडरमा/ सेवानिवृत्त	31.01.79	31.01.09	

2. अगर गलत सूचना अथवा अन्य किसी कारण से यह पाया गया कि संशोधित वित्तीय उन्नयन का लाभ नियमानुकूल नहीं है तो उक्त एम.ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत वित्तीय उन्नयन के लाभ एवं उसकी सम्पुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जायेगी।

3. सम्पुष्टि आदेश पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह. / -

(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -

(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई राँची/ कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमंडल, कोडरमा को श्री मुद्रिका प्रसाद, कनीय अभियन्ता का सेवापुस्त जिल्द में (मूल) के साथ/ संबंधित कनीय अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु.-यथोक्त।

ह. / -

(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :- 5392

राँची, दिनांक :- 2-5-14

प्रतिलिपि:- बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ वेब इन्फोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :-03 / सम्पुष्टि-06-17 / 2014..... / राँची, दिनांक :

आदेश

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-2981 दिनांक 01.09.2009 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय आदेश संख्या-6675 दिनांक 23.11.2012 द्वारा अधोवर्णित सारणी के स्तम्भ-02 में अंकित कनीय अभियंता को संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (MACP) योजना के तहत स्तम्भ-04 में वर्णित तिथि से औपबधिक रूप से स्वीकृत द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतनमान 15600-39100, (पी.बी.-III) ग्रेड पे रू. 5400/- को एतद् द्वारा सम्पुष्टि किया जाता है।

क्रमांक	सरकारी सेवक का नाम /आई.डी. कोड/जन्म तिथि/ कार्यालय का नाम	प्रथम योगदान की तिथि	बीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप एम.ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत द्वितीय वित्तीय उत्क्रमण (पी.बी.-III) एवं वेतनमान 15600-39100, ग्रेड पे रू. 5400/- देय तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री प्रवीण कुमार जे 9065/ 15.10.62/सिंचाई प्रमंडल जसीडीह शिविर देवघर	06.09.89	06.09.09	

2. अगर गलत सूचना अथवा अन्य किसी कारण से यह पाया गया कि संशोधित वित्तीय उन्नयन का लाभ नियमानुकूल नहीं है तो उक्त एम.ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत वित्तीय उन्नयन के लाभ एवं उसकी सम्पुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जायेगी।

3. सम्पुष्टि आदेश पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह. /-
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. /-
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, देवघर/ कार्यपालक अभियन्ता, सिंचाई प्रमंडल, जसीडीह शिविर देवघर को श्री प्रवीण कुमार, कनीय अभियन्ता का सेवापुस्त जिल्द में (मूल) के साथ/ संबंधित कनीय अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. /-
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :-

5399

राँची, दिनांक :-

2-5-14

प्रतिलिपि:- बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/वेब इन्फोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु.-यथोक्त।

(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)